कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ ए.सी.बी द्वारा गठित एसआईटी द्वारा आज जल जीवन मिशन में हुए हजारो करोडों के भ्रष्टाचार मामले में संजय बडाया को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, 11 मई, 2026। जल जीवन मिशन में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में एसीबी ब्यूरो में दर्ज प्रकरण संख्या 245/2024 में आरोपी संजय बड़ाया को थाईलैण्ड यात्रा से लौटने पर पूर्व में जारी लुकआउट सर्कुलर के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था जिसको विशेष टीम द्वारा ब्यूरो मुख्यालय लाया जाकर गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय में पेश कर 13 मई 2026 तक का पुलिस रिमाण्ड अनुसंधान हेतु प्राप्त किया गया। साथ ही आज माननीय न्यायालय में महेश जोशी को ब्यूरो द्वारा पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

प्रकरण संख्या 245/2024 के अनुसंधान से फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कम्पनी प्रोपराईटर श्री महेश मित्तल व फर्म गैसर्स श्री श्याम ट्यूबैवल कम्पनी प्रोपराईटर श्री पदमचन्द जैन द्वारा इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन मंत्री, महेश जोशी द्वारा सुबोध अग्रवाल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी, आरोपीगण मुख्य अभियन्ता/ अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संवेदको व अन्य प्राईवेट व्यक्ति मुख्यत संजय बड़ाया के साथ मिलीभगत कर राजस्थान राज्य में उपरोक्त दोनों फर्मों के नाम जारी विभिन्न टेण्डरों में इरकॉन इन्टरनेशनल लि. के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लगाकर करीब 960 करोड रूपये के टेण्डर प्राप्त कर करोड़ो रूपयों का भ्रष्टाचार करना प्रकट हुआ।

अनुसंधान से यह भी प्रकट हुआ कि तत्कालीन मंत्री, महेश जोशी द्वारा सुबोध अग्रवाल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी, आरोपीगण मुख्य अभियन्ता /अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संवेदको व अन्य प्राईवेट व्यक्ति मुख्यत संजय बडाया के साथ मिलीभगत कर आपराधिक मंशा से मेजर प्रोजेक्टस (50 करोड़ रूपये से उपर) की निविदाओं में साइट विजिट प्रमाण–पत्र की बाध्यता को नियमो के विरूद्ध निविदा में शामिल कर बोली दाताओ की पहचान को उजागर कर टेण्डर पुलिंग करने के फलस्वरूप 30 से 40 प्रतिशित तक अप्रत्याशित उंचे टेण्डर प्रीमियम प्राप्त हुए, जिनका पीएबईडी के अधिकारियो द्वारा अनुमोदन कर व्यापक स्तर पर पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार करना प्रमाणित पाया गया है, इन टेंडर की कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ रूपये है।

अनुसंधान से यह तथ्य प्रकट हुआ कि आरोपी संजय बडाया तत्कालिन मंत्री पीएचईडी महेश जोशी के करीबी रहा है तथा विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप रखता था। प्रकरण में आरोपी ठेकेदारों से नजदीकी संबंध होने एवं उनके साथ रिश्वत राशि के लेनदेन के तथ्य भी सामने आये है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पीएचईडी के अधिकारियों पर तबादले एंव विभागीय कार्यवाही का दबाव बनाये जाने एवं ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के एवज में मोटी रिश्वत राशि के लेनदेन के तथ्य भी सामने आये है।

प्रकरण में 12 आरोपीगण महेश जोशी, पूर्व मंत्री, सुबोध अग्रवाल (सेवानिवृत्त आईएएस), दिनेश गोयल हाल मुख्य अभियन्ता प्रशासन, के. डी. गुप्ता हाल मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, सुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव आरडब्लयूएसएसएमची हाल अति. मुख्य अभियन्ता, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय, सुशील शर्मा हाल वितीय सलाहकार अक्षय उर्जा, निरिल कुमार हाल मुख्य अभियन्ता चुरू, विशाल सक्सेना अधिशाषी अभियन्ता हाल निलम्बित, अरूण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हाल सेवानिवृत, डी. के. गौड तत्कालीन मुख्य अभियन्ता व तकनीकी सदस्य हाल सेवानिवृत, महेन्द्र प्रकाश सोनी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त एवं मुकेश पाठक प्राईवेट व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण में तीन फरार आरोपीगण मुकेश गोयल तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जितेन्द्र शर्मा तत्कालीन अधिशाषी अभियता एवं सजीव गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी हेतु स्थायी वारण्ट जारी किये है तथा उक्त तीनों आरोपीगणों को उद्घोषित अपराधी घोषित करवाये जाने आदि की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पांच अन्य आरोपीगण को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई है।

प्रकरण में त्वरित प्रभावी अनुसंधान हेतु **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के निर्देशन में गठित एसआईटी के सदस्य **श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** एवं **श्री भूपेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** द्वारा प्रकरण में तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में गठित एसआईटी द्वारा आरोपी से विस्तृत पूष्ठताछ, साक्ष्य संकलन एवं अग्रिम अनुसंधान जारी है।